बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक................ दिनांक,...................
5(स0) अपील (राम झरी) 10/2014

प्रेषक,

अवर सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

सेवा में,

सर्वश्री जनार्दन रामझरी इन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0,
श्री जनार्दन सिंह
ग्राम+पो0:– रथौस, भाया– कमतौल,
जिला–मधुबनी।

विषयः– दायर अपीलवाद सं0– 10/2014 में पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री जर्नादन रामझरी इन्टरप्राईजेज, पंडौल, मधुबनी बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4951 दिनांक 28/10/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/~~आई0टी0~~ मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

अनु0- पत्नोत्तर

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आ दे श फ ल क
अपील संख्या 10 / 2014

मेसर्स जर्नादन रामझरी इन्टरप्राईजेज, पंडौल, मधुबनी
बनाम्
प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील मेसर्स जर्नादन रामझरी इन्टरप्राईजेज, पंडौल, मधुबनी द्वारा 'बियाडा' के आदेश ज्ञापांक 0165 दिनांक 26.02.2014 जिसके द्वारा उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

2. अपीलकर्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 2008 में आटा चक्की प्लान्ट लगाने हेतु प्लॉट सं0– 120 पी0 एवं 122 पी0, कुल रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटित किया गया था । अपीलकर्ता द्वारा बताया गया कि वे नागालैण्ड के निवासी हैं तथा बिहार में आकर्षित होकर इकाई लगाना चाहते हैं। भूमि आवंटित होने के पश्चात् मैंने चाहरदिवारी निर्माण कार्य किया था तथा स्थानीय शरारती लोगों के द्वारा ईंट एवं अन्य सामानों को चोरी कर ली गयी। इकाई का परियोजना प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन भी तैयार हो गया है। मुझे बिहार राज्य प्रदूषण पर्षद से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। मेरा सब्सिडी भी स्वीकृत है। आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 के द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया गया था एवं मुझे बिजली का कनेकशन भी सरकार से प्राप्त है। मैंने अप्रैल 2010 में बियाडा को प्रथम किस्त के रुप में 48744 रु0 जमा भी किया था। दूरभाग्यवश आवंटित भूमि को दिनांक 26.02.2014 को रद्द कर दिया गया। भूमि आवंटन रद्द करने से मैं बेरोजगार हो गया हूँ और मुझे आमदनी का कोई साधन नहीं है। मेरा परिवार भी बुरे स्थिति में है और बहुत सारी समस्याओं से जुझ रहा है। अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवंटन रद्द करने के आदेश को जल्द से जल्द वापस लिया जाय एवं मुझे मई तक का समय दिया जाये ताकि उस जमीन पर अपना उद्योग लगा सकूँ।

3. सुनवाई के समय 'बियाडा' के प्रतिनिधि ने बताया कि इकाई द्वारा बंध पत्र जमा किया गया एवं दिनांक 26.04.2010 को भूमि किस्त का 30 प्रतिशत राशि जमा किया गया। इकाई को दिनांक 06.05.2010 के द्वारा भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया। क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा दिनांक 15.06.2011 को सूचित किया गया कि स्थल पर चहारदिवारी निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। पत्रांक 1178 दिनांक 08.07.2011 द्वारा इकाई को अस्थायी निबंधन का पावती निर्गत किया गया।

इकाई को उद्योग स्थापना करने हेतु नोटिश निर्गत क्रमशः पत्रांक 1712 दिनांक 20.09.2011, पत्रांक 1183 दिनांक 14.07.2012, पत्रांक 1433 दिनांक 27.09.2012, पत्रांक 622 दिनांक 18.04.2013 द्वारा दिया गया, परन्तु इकाई द्वारा स्थल पर उद्योग स्थापित करने संबंधि कोई कार्य शुरु नहीं किया गया और न ही नोटिश का उत्तर दिया गया। पुनः इकाई को उद्योग स्थापना करने हेतु नोटिश–सह–Exit policy निर्गत क्रमशः पत्रांक 779 दिनांक 09.05.2013, पत्रांक 1022 दिनांक 21.06.2013, पत्रांक 1572 दिनांक 23.10.2013 द्वारा दिया

गया, परन्तु इकाई द्वारा स्थल पर उद्योग स्थापित करने संबंधि कोई कार्य शुरु नहीं किया गया और न ही नोटिश का उत्तर दिया गया।

दिनांक 16.12.2013 को क्षेत्रीय प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र पंडौल द्वारा निरीक्षण करते हुए सूचित किया गया कि स्थल पर इकाई द्वारा पिलीन्थ का निर्माण किया गया। जो कई वर्षों से है, उसके बाद कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया, साथ ही इकाई का फोटोग्राफ समर्पित किया। इकाई को प्रबंध निदेशक के आदेश दिनांक 22.01.2014 के अनुपालन में आदेश ज्ञापांक 0165 दिनांक 26.02.2014 द्वारा इकाई को आवंटित भूमि रद्द कर दिया गया।

4. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 2008 में करीब आठ वर्ष पूर्व भू–खण्ड आवंटित किया गया था एवं अब तक मात्र चाहरदिवारी निर्माण के अलावा इकाई द्वारा कोई अन्य औद्योगिक गतिविधि नहीं प्रारम्भ की गई है। इकाई द्वारा कार्य करने का कोई ठोस प्रस्ताव/कागजात भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इकाई उक्त भू–खण्ड पर उद्योग नहीं लगाकर केवल उसे अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। उपर्युक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/10/2014
(डॉ एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/10/2014
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।